डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 206] रायपुर, सोमवार, दिनांक 24 सितम्बर 2001—आश्विन 2 शक 1923

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2001

आदेश

क्रमांक 635/परि.वि./2001.—राज्य शासन छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान नियम, 1991 की नियम 9-क के उप-नियम (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मालयानों के "स्पेशल टोकन" की फीस की दरें निम्नानुसार निर्धारित करती है :—

		मासिक फीस	तिमाही फीस
1.	राज्य में पंजीकृत मालयानों के लिये जिनका सकल लदान भार—		
	1. 7,500 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है	रु. 800.00	रु. 2,000.00
	2. 7,500 कि. ग्रा. से अधिक है किन्तु 12,000 कि.ग्रा. से अधिक नहीं है	रु. 1,200.00	रु. 3,000.00
	3. 12,000 कि. ग्रा. से अधिक है किन्तु 18,000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है	रु. 1,600.00	रु. 4,000.00
	4. 18,000 कि.ग्रा. से अधिक है किन्तु 25,000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है	रु. 2,400.00	रु. 6,000.00
	5. 25,000 कि. ग्रा. से अधिक है.	रु. 3,200.00	रु. 8,000.00

2. अन्य राज्य में पंजीकृत मालयानों के लिये जिनका सकल लदान भार—	मासिक फीस	तिमाही फीस
1. 7,500 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है.	रु. 1,000.00	रु. 2,500.00
2. 7,500 कि. ग्रा. से अधिक है किन्तु 12,000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है.	रु. 1,500.00	रु. 3,750.00
3. 12,000 कि. ग्रा. से अधिक है किन्तु 18,000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है.	रु. 2,000.00	रु. 5,000.00
4. 18,000 कि. ग्रा. से अधिक है किन्तु 25,000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है.	रु. 3,000.00	रु. 7,500.00
5. 25,000 कि. ग्रा. से अधिक है	रु. 4,000.00	रु. 10,000.00

3. **"स्पेशल टोकन" की फीस की उक्त दरें दिनांक 1-8-2001 से प्रभावशील होंगी.**

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2001

क्रमांक 635/परि.वि./2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 24 सितम्बर, 2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 24th September 2001

ORDER

No. 635/TR.D./2001.—The State Government in exercise of powers conferred by sub-rule (1) of rule 9-A of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Niyam, 1991, fix the rate of fee for "Special Token" as under :—

1. For Goods Carriages registered in the Statethe Gross Laden Weight of which	**Monthly fee**	**Quarterly fee**
1. Does not exceed 7,500 kg.	Rs. 800/-	Rs. 2,000/-
2. Exceed 7,500 kg. but does not exceed 12,000 kg.	Rs. 1,200/-	Rs. 3000/-
3. Exceed 12,000 kg. but does not exceed 18,000 kg.	Rs. 1,600/-	Rs. 4,000/-
4. Exceed 18,000 kg. but does not exceed 25,000 kg.	Rs. 2,400/-	Rs. 6,000/-
5. Exceed 25,000 kg.	Rs. 3,200/-	Rs. 8,000/-

		Monthly fee	Quarterly fee
2.	For Goods Carriages registered in other Statethe Gross Laden Weight of which		
	1. Does not exceed 7,500 kg,	Rs. 1,000/-	Rs. 2,500/-
	2. Exceed 7,500 kg. but does not exceed 12,000 kg.	Rs. 1,500/-	Rs. 3,750/-
	3. Exceed 12,000 kg. but does not exceed 18,000 kg.	Rs. 2.000/-	Rs. 5,000/-
	4. Exceed 18,000 kg. but does not exceed 25,000 kg.	Rs. 3,000/-	Rs. 7,500/-
	5. Exceed 25,000 kg.	Rs. 4,000/-	Rs. 10,000/-

3. Above rates of fee of "Special Token" shall be effective from 1-8-2001.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. VIJAYAVARGIYA, Principal Secretary.

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2001

अधिसूचना

क्रमांक 635/परि.वि./2001.—छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान नियम, 1991 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उप नियमों में,—

नियम 9-क में उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम पुर्नस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1) इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी, मालयान का कोई स्वामी जिसने एक विशिष्ट कालावधि के लिये कर का भुगतान कर दिया हो, मासिक या त्रैमासिक "स्पेशल टोकन" के लिये, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर, आदेश द्वारा, निर्धारित की गई फीस, का भुगतान कर आवेदन कर सकेगा. राज्य शासन राज्य के भीतर पंजीकृत वाहनों के लिये तथा अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहनों के लिये भिन्न-भिन्न फीस की दरें निर्धारित कर सकेगा."

परंतु यह कि राज्य शासन स्पेशल टोकन की फीस की दरों का आंकलन करने के पश्चात् उन्हें किसी भी समय पश्चात्वर्ती प्रभाव से कम कर सकेगी.

परंतु यह और भी कि कराधान प्राधिकारी किसी माह, माहों अथवा तिमाही की फीस की किसी दर का पश्चात्वर्ती प्रभाव से पुनरीक्षण होने पर किसी पिछले ऐसे टोकन के संबंध में उद्भूत होने वाली अधिक राशि का समायोजन मालयान के स्वामी द्वारा प्राप्त किये जाने वाले अगले स्पेशल टोकन में किया जा सकेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विज, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2001

क्रमांक 635/परि.वि./2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 24 सितम्बर, 2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विज, उप-सचिव.

Raipur, the 24th September 2001

NOTIFICATION

No. 635/TR.D./2001.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 24 of Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government hereby makes the following amendments in the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Niyam, 1991, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

In rule 9-A, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) Notwithstanding any thing contained in these rules, any owner of a goods carriage, who has paid the tax for a particular period, may apply for a monthly or quarterly "Special Token", on payment of the fee fixed by the State Government by an order, from time to time. Different rates of fee may be fixed for the vehicles registered within the State and vehicles registered in other State by the State Government.".

Provided that the State Government may, after due assessment of the rate of fee of Special Token reduce them retrospectively, at any time.

Provided further that, the Taxation Authority, on revision of any rate of fee for any month, months or quarter, retrospectively, may adjust the excess amount arised on a previous such token in the next Special Token to be obtained by the owner of goods carriage.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. K. VIJ, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.